तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पाना देवी बनाम नन्दलाल आदि मुकदमा नंबर 70/2013 अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए निर्णय दिनांक:15.05.2026	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.05.2026	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थीनी/ वादीनी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादिनी द्वारा उक्त दावा अपने संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नंबर 666 तादादी 15.6700 हैक्टेयर रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के विभाजन का पेश किया गया है जो प्रार्थीनी ने जरिये विक्रयपत्र खरीद किया है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 सहखातेदार है सहखातेदार होने एवं वादीनी को विभाजन करवाने के लिए दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार संयोजित किये गये है । प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत जबाब से 01.05.2024 को वादीनी को जानकारी हुई की प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है प्रतिवादी संख्या 2 वादगत खेत में सहखातेदार होने एवं वादी के रिश्तेदारी का नही होने के कारण मृत्यु की जानकारी नही थी। प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की जानकारी वादीनी को दिनांक 01.05.2024 को होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्दरमियाद है। वादीनी का दावा सिर्फ विभाजन का दावा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के पक्षकारो को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई किये जाने से किसी प्रकार का अहित नही होगा एवं वादीनी द्वारा नया दावा पेश करने से वादबाहुलता होगी एवं न्याय निर्णय में देरी होगी। उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 2 संयुक्त खातेदार होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर उनके जायज वारिसानो को पक्षकार संयोजित किया जाना है एवं उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 12 के वारिसानो को पक्षकार संयोजित करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया एवं अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2025(1) आजेटी(सिविल) 472 राधेश्याम वगै. बनाम भजनलाल वगै. पेश की गई। अप्रार्थी/प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थी/ वादी की बहस का खंडन करतें हुए कथन किया गया कि वादी ने उक्त दावा मृत व्यक्ति के विरूद्ध किया है प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु हुए करीब 35 वर्ष हो चूके है वादी को उक्त दावा में प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध ना तो वाद हेतू प्राप्त है और ना ही वादा आधार प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादी को प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की सूचना नही दी है प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपना जबाब दावा में प्रतिवादी मृत्यु की संख्या 2 की मृत्यु के संबंध मे उजर आपति प्रस्तुत की है वादी का प्रार्थना पत्र कतई अंदर मियाद नही है वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र के साथ ना ही मियाद अधिनियम की धारा 5 की छुट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है और ना ही अबेटमेन्ट केन्सल करने की प्रार्थना की है। वादी का दावा अबेट हो चूका	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

है जो खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रार्थीनी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया/ वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु की दिनांक का कही भी उल्लेख नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 03 ता 4 की ओर से जवाबदावा पेश किये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया है। जबकि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में प्रतिवाादी संख्या 2 की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व होना स्पष्ट अंकित किया गया है। प्रार्थी/वादिनी द्वारा केवल मात्र जवाबदावा अनुसार ही जानकारी होने के आधार पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 पेश किया गया है। प्रतिवादी संख्या 02 की मृत्यु हुए करीब 35 वर्ष हो गये है। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीनी/वादिनी द्वारा कायम मुकाम बनाने हेतु निर्धारित अवधि 90 दिवस के अन्दर कायम मुकाम बनाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। 90 दिवस के बाद दावा स्वतः ही अबेट हो जाता है, 90 दिवस के पश्चात अबेटमेन्ट को निरस्त करवानें हेतु प्रार्थना पत्र 60 दिनो के अन्दर मियांद अधिनियम के तहत प्रस्तुत करना आवश्यक है। वादी/ प्रार्थी ने आदेश 22 नियम 9 एवं मियाद अधिनियम धारा 5 के तहत छूट प्राप्त करने हेतु भी किसी प्रकार का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। आदेश 22 नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार वाद स्वतः अबेट हो चुका है। लिहाजा प्रार्थीनी/ वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. इसी स्तर पर खारिज किया जाकर वादीनी का वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया जाता है। वादिनी नया वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ